



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकर्म)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 2816-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि-2019-11(1)/2019

दिनांक: 6 दिसम्बर, 2019

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं II),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।

विषय:- अवर अभियन्ताओं को 30 लीटर पेट्रोल के मूल्य के बराबर धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र सं०-620-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011, दिनांक 05.07.11 तथा संगत आदेशों का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त पत्र द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० तथा उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों में तैनात अवर अभियन्ताओं, जो राजस्व वसूली, परिचालन एवं अनुरक्षण के कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु अपने तैनाती क्षेत्र में निजी वाहन द्वारा भ्रमण करते हैं, को 30 लीटर (तीस लीटर) पेट्रोल के बराबर की धनराशि की प्रतिमाह प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को अधिकृत किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित अवर अभियन्ता के कार्य एवं प्रकृति के दृष्टिगत उनसे सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप कृपया तदनुसार अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मुकुल सोनकर)
संयुक्त सचिव (पारिषण)

संख्या : 2816-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि/2019/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अधिशासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
3. कट फाइल।

आज्ञा से

(मुकुल सोनकर)
संयुक्त सचिव (पारिषण)